न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–78 सन् 2020

तारकेश्वर चौरसिया वो अन्य..................वादीगण।

बनाम

राम नरेश भगत वो अन्य......................प्रतिवादीगण।

दिनांक–19.09.2022

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 13.07.2022 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि प्रस्तुत वाद में वादी की ओर से दाखिल मूल आवेदन में प्रथम निर्धारित तिथि दिनांक 19.09.2012 है। प्रस्तुत वाद में दाखिल मूल आवेदन प्रतिवादी खाने में पता ग्राम– हसनपुर, पो0 वो थाना–नयागांव के स्थान पर टंकक की गलती से पो0 वो थाना–नयागांव के स्थान पर सोनपुर हो गया है। जिसे सुधार करते हुए नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता है। अतः निवेदन है कि वादी की ओर से दाखिल आवेदन को स्वीकार करतेहुए संशोधन करने की अनुमति प्रदान करें।

उपरोक्त वाद में प्रतिवादी अभी उपस्थित नहीं हुए हैं।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी की ओर से कॉल फौर करके आवेदन दाखिल कर प्रतिवादी के पता में संशोधन हेतु लाया गया है जो शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है, जो साधारण प्रकृति की है जिससे वाद के स्वरूप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिवादी अभी उक्त वाद में हाजिर नहीं हुए है। अतः वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक.................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

सब जज

सोनपुर सारण।